

फैक्स
स्पीड-पोस्टबिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग3
31.10.2016

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
बांका

पटना, दिनांक-, 2015

विषय:- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वाद सं0-4499/4/3/2014/FC में दिनांक-11.05.2016 को पारित आदेश के आलोक में पीड़ित श्री गौतम कुमार सिंह, पिता-राजेन्द्र प्रसाद सिंह, साकिन-करसोप, थाना-शंभूगंज, जिला-बांका को ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) के रूप में जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा भुगतान का आदेश/राज्यादेश संख्या-6923 दिनांक-22.07.2016 द्वारा स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या-22, उप शीर्ष-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड-N2235602000011, विषय शीर्ष-3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2016-2017 में उपबंधित राशि से कुल ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-

स्वीकृत।

2. पीड़ित श्री गौतम कुमार सिंह को मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी बांका को निम्नवत राशि आवंटित की जाती है-

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जिला पदाधिकारी, बांका को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जिला पदाधिकारी, बांका को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जिला पदाधिकारी, बांका को कुल आवंटित राशि
₹4,00,000/- (चार लाख रुपये)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये)	₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये)

3. उक्त आवंटित राशि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-22, उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड N2235602000011 विषय शीर्ष-3102 अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. उक्त राशि यथा विषयांकित पीड़ित को मुआवजा के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, बांका को उपलब्ध करायी जा रही है।
जिला पदाधिकारी, बांका कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान पीड़ित की समुचित पहचान कर की गई है।
5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, बांका होंगे।
6. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, बांका से की जायगी।
7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसके अनुपालन की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, बांका की होगी।
8. जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा पीड़ित को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा।

9. जिला पदाधिकारी, बांका का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा मात्र उक्त पीड़ित को मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा। किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाए तो उस राशि का प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2016-2017 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
12. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
13. इस आवंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-ओ0/रा0मा0आ0-110/15..... पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- ओ0/रा0मा0आ0-110/15..... पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर, प्रमंडल-भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बांका/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- ओ0/रा0मा0आ0-110/15..... पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि:- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- ओ0/रा0मा0आ0-110/15..... पटना, दिनांक....., 2016
प्रतिलिपि :- उप निबंधक (लॉ), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी0, जी0पी0ओ0 कम्पलेक्स, आई0एन0ए0, नई दिल्ली-110023 को उनके वाद सं0-4499/4/3/2014/FC दिनांक-11.05.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- ओ0/रा0मा0आ0-110/15..... पटना, दिनांक-....., 2016
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

Handwritten signature and date
3/7